आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

नमान्तरण रिभिजन वाद सं0–08/2012–13

देवन्द्र कुमार दुबे – आवेदक

बनाम

नागेन्द्र दुबे – विपक्षी

आदेश

आवेदक श्री देवन्द्र कुमार दुबे, पिता–स्व0 सरयु दुबे, ग्राम–दुबेतहले, थाना–मझिऑव, जिला–गढ़वा के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामांतरण अपील वाद सं0–02/2010–11 में दिनांक–08.12.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध यह रिभिजन वाद दायर किया गया है।

मामले पर विपक्षी को नोटिश निर्गत किया गया नोटिश के पश्चात विपक्षी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए तथा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया तथा मामले पर दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस विस्तार से सुना गया एवं इनके द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया।

आवेदक का संक्षेप में कहना है कि ग्राम–दुबेतहले के खाता सं0–36, प्लॉट सं0–523, रकबा–0.02 एकड़ एवं प्लॉट सं0–538 रकबा–0.01 एकड़ भूमि आवेदक ने कृपाल पाठक वल्द जनेश्वर पाठक से निबंधित केवाला सं0–605, दिनांक–29.01.2009 के द्वारा खरीद किया गया, जिसे आवेदक ने अंचल कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया गया, जिस पर नामान्तरण वाद सं0–914/2009–10 कायम किया गया। परन्तु अंचल अधिकारी, मझिऑव द्वारा बीना विचार किये ही उक्त नामान्तरण वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण वाद के विरूद्ध उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के न्यायालय में अपील वाद सं0–02/2010–11 दायर किया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा ने भी अंचल अधिकारी के नामांतरण वाद सं0–914/2009–10 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी के नामान्तरण वाद सं0–914/2009–10 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामान्तरण अपील वाद सं0–02/2010–11 में पारित आदेश के निरस्त किया जाए एवं अंचल अधिकारी, मझिऑव को आवेदक के नाम से दाखिल–खारिज करने का आदेश दिया जाए।

विपक्षी का संक्षेप में कहना है कि अंचल अधिकारी, मझिऑव के नामान्तरण वाद सं0–914/2009–10 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामान्तरण वाद सं0–02/2010–11 में पारित आदेश सभी दृष्टिकोण से

विधि–समत एवं उचित है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नियमानुसार उचित नहीं है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि राजस्व मामले में प्रश्नगत भूमि का दखल–कब्जा ही बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है और इसी के अनुसार राजस्व मामले में निर्णय लिया जाता है, प्रश्नगत भूमि कॅडेस्टल सर्वे में उक्त जमीन मकान सहन एवं घर बारी के रूप में दर्ज है। हाल सर्वे के खतियान में भी उक्त प्लॉट सं0–523 से नया प्लॉट सं0–675 एवं पुराना प्लॉट सं0–538 से नया प्लॉट सं0–671 बना है और नया प्लॉट सं0–671 की जमीन पर मकान सहन है। तथा नया प्लॉट सं0–675 की जमीन पर घर बारी की जमीन दर्ज है। उक्त जमीन विपक्षी नागेन्द्र दुबे के पिता अवध बिहारी के नाम से हाल सर्वे खतियान तैयार किया गया है। तथा उक्त भूमि पर विपक्षी का घर मकान एवं सहन अवस्थित है, तथा वर्षो से दखल–कब्जा में चले आ रहे हैं।

इस प्रकार विपक्षी का अनुरोध है की अंचल अधिकारी, मझिऑव का नामान्तरण वाद सं0–914/2009–10 एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामान्तरण वाद सं0–02/2010–11 में पारित आदेश विधि एवं न्याया के दृष्टिकोण से उचित है, जिसे यथावत रखते हुए अपीलार्थी का रिभिजन आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाए।

मामले पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं इनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस/कागजात तथा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामन्तरण अपील वाद सं0–02/2010–11 में पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का हाल सर्वे में विपक्षी के पिता अवध बिहारी दुबे के नाम से दर्ज है। तथा उक्त भूमि पर विपक्षी का दखल अधिकार है और यह इनकी मौरूषि संम्पति है। अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी दखल अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामान्तरण वाद सं0–02/2010–11 में दिनांक–08.12.2011 को पारित आदेश विधि एवं न्याय की दृष्टिकोण से उचित है। इस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, जिसे यथावत रखते हुए आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

29/5

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

29/7/2020

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।